वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में
बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

चूँकि जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया है, अत: हमारे बैंक पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। हमारे बैंक की समस्त शाखाओं और कार्यालयों के सुचारू कार्यनिष्पादन हेतु हमने एफएक्यू संकलित किया है जिसमें जीएसटी के अनुपानलन हेतु प्रमुख पहलुओं और कार्यबिंदुओं को समाविष्ट किया गया है।

1) **जीएसटी क्या है ?**

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विनिर्माण, विक्रय और वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग के संबंध में व्यापक अप्रत्यक्ष कर की वसूली है। जीएसटी लागू होने के बाद सभी मौजूदा अप्रत्यक्ष कर यथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, चुंगी आदि को निरस्त किया गया है और गंतव्य/उपभोग आधारित प्रत्यक्ष कर के साथ मौजूदा मूल आधारित प्रत्यक्ष कर से प्रतिस्थापित किया गया है।

2) **पिछले अप्रत्यक्ष कर क्या थे जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है** ?

केन्द्र और राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न करों को जीएसटी से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

i. केन्द्र द्वारा वर्तमान में उगाहे और वसूले गए का
   - क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
   - ख) उत्पाद शुल्क (मेडिसिनल और शौचालय निर्माण)
   - ग) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं)
   - घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा उत्पाद)
   - ङ) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्यत: सीवीडी के रूप में ज्ञात)
   - च) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)
   - छ) सेवा कर
   - ज) केन्द्रीय अधिभार एवं उपकर जहाँ तक ये वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।

ii. सेवा कर जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है:
   - क. मूल्य वर्धित कर (वीएटी)
   - ख. केन्द्रीय विक्रय कर (सीएसटी)
   - ग. विलासिता कर
   - घ. प्रवेश कर
   - ङ. मनोरंजन एवं मनोविनोद कर (स्थानीय निकायों द्वारा उगाहे गए कर को छोड़कर)
   - च. विज्ञापनों पर कर
   - छ. क्रय कर
   - ज. लाटरी, बैटिंग और जुआ कर
   - झ. राज्य अधिभार एवं उपकर जहाँ तक ये वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।

3. **जीएसटी क्षेत्र के अंतर्गत वस्तु और सेवा कर को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा ?**

जीएसटी क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर (एचएसएन) का प्रयोग किया जाएगा। सेवाओं का वर्गीकरण सेवा लेखा कोड (एसएसी) के अनुसार किया जाएगा।

4. **जीएसटी की संरचना**

- जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम में निर्धारित उपबंधों के अनुसार, किसी भी कर योग्य आपूर्ति जिसका उद्गम (आपूर्तिकर्ता का स्थान) और गंतव्य (आपूर्ति का स्थान) एक ही राज्य के अंदर है, उस पर आधार मूल्य पर जीएसटी के दोनों घटक अर्थात सीजीएसटी और एसजीएसटी दानों साथ-साथ/समवर्ती रूप से लागू होंगे।
- जहां कर योग्य आपूर्ति का उद्गम (आपूर्तिकर्ता का स्थान) एक राज्य में और गंतव्य (आपूर्ति का स्थान) दूसरे राज्य में है वहां एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लागू होगा। इसमें भारत के बाहर से वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी शामिल है। अत: भारत के बाहर से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के स्थान पर आईजीएसटी लागू होगा।
- वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात और एसईजी डेवलोपर या किसी एसईजी यूनिट को आपूर्ति को जीएसटी क्षेत्र में शून्य रेटेड किया गया है।

5. **आपूर्ति क्या है ?**

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूप, यथासमय किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल हेतु अथवा व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु, दोनों को आपूर्ति माना जाता है, तथापि, बैंक से संबंधित **निम्नलिखित** लेनदेनों/गतिविधियों को **आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है** क्योंकि इन पर कोई जीएसटी प्रयोज्य नहीं है:-

क. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई गतिविधियों अथवा लेनदेनों को न तो वस्तुओं की आपूर्ति समझा जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति।
ख. अपने नियोजन के दौरान या उसके संबंध में कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को सेवाएं।
ग. वर्तमान में लागू किसी किसी विधि के अंतर्गत स्थापित किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा सेवाएं।
घ. केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित निकाय में अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा निदेशक द्वारा निष्पादित कर्तव्य और जिन्हें इस खंड के आरंभ से पहले कर्मचारी नहीं समझा जाता हो।
ङ. जमीन की बिक्री
च. लाटरी, बैटिंग और जुए से इतर, कार्रवाई योग्य दावा।

6. **जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है ?**

वस्तु को धन और प्रतिभूतियों से इतर हर प्रकार की चल संपत्ति के अर्थ में परिभाषित किया गया है किंतु इसमें विनिर्दिष्ट रूप से कार्रवाई योग्य दावे शामिल नहीं हैं।

7. **जीएसटी के अंतर्गत सेवाओं से क्या तात्पर्य है ?**

सेवाओं को वस्तुओं, धन और प्रतिभूतियों से इतर किसी भी अर्थ में परिभाषित किया गया है। परिभाषा में विशेष रूप से धन के प्रयोग अथवा नकदी या अन्य विधि द्वारा इसके संपरिवर्तन, मुद्रा या मूल्य वर्ग के एक रूप से मुद्रा अथवा मूल्य वर्ग के अन्य रूप में संपरिवर्तन को शामिल किया गया है जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित किया जाता है।

8. **आपूर्ति का स्थान क्या है ?**

क**) वस्तुओं हेतु**

क्रसं.	**शर्तें**	**वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान**
1	सम्मिलित वस्तुओं का संचलन	उस समय वस्तुओं की स्थिति जब वस्तुओं का संचलन प्राप्तकर्ता को सुपदर्गी पर समाप्त होता हो।
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति तृतीय व्यक्ति की दिशा के प्राप्तकर्ता को की जाती है चाहे वह एजेंट के रूप में हो या अन्यथा।	ऐसे तृतीय व्यक्ति का प्रधान व्यवसाय स्थल
3	ऐसी वस्तुओं का संचलन जो सम्मिलित नहीं हैं।	प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समय वस्तुओं का स्थान
4	साइट पर वस्तुओं का संस्थापन अथवा जुटाया जाना	ऐसे संस्थापन और एसेम्बल का स्थान
5	वाहन में रखी वस्तुओं की आपूर्ति	वह स्थान जहां ऐसी वस्तुओं को लादा जाता है अर्थात जहां से संचलन आरंभ होता है।
6	वस्तुओं का आयात	आयातक का स्थान
7	वस्तुओं का निर्यात	भारत के बाहर स्थान

ख**) सेवाएं:**

क्रसं.	सेवाएं	सेवाओं की आपूर्ति का स्थान
1	क) आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर और अन्य संबंधित विशेषज्ञों अथवा संपदा एजेंटों सहित अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष संबंध में अचल संपत्ति के प्रयोग के अधिकार के रूप में निर्माण कार्य करने अथवा इसके समन्वयक के रूप में अचल संपत्ति से प्रत्यक्ष संबंध में प्रदत्त सेवाएं	यथास्थिति अचल संपत्ति या बोट या वेसल का स्थान जो अवस्थित हो या अवस्थित होने का आशय हो। बशर्ते, यदि संपत्ति अथवा बोट अथवा वेसल अचल भारत के बाहर अवस्थित हो या रखने का आशय हो आपूर्ति का स्थान प्राप्त कर्ता का स्थान होगा।

	ख) होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब अथवा कैम्पसाइट, या जिस भी नाम से जाना जाए और इसमें हाउसबोट अथवा अन्य वेसल शामिल हैं, अथवा ग) किसी अचल संपत्ति का प्रयोग विवाह अथवा रिसेप्शन अथवा उससे संबंधित कार्यक्रमों, कार्यालयीन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा व्यावसायिक कार्यक्रमों हेतु जिसमें ऐसी संपत्ति के संबंध में प्रदत्त सेवाएं शामिल है, के एकोमोडेशन के द्वारा, अथवा घ) खंड (क), (ख) एवं (ग) में संदर्भित सेवाओं की अनुषंगी सेवाएं।	
2	रेस्तरां और केटरिंग सेवाएं, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिंक और प्लास्टिक सर्जरी सहित स्वास्थ्य सेवाएं	वह स्थान जहाँ सेवाएं वास्तव में उपलब्ध कराई जाती हैं।
3	पंजीकृत व्यक्ति के प्रशिक्षण और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन से संबंधित सेवाएं	पंजीकृत व्यक्ति का स्थान
4	किसी व्यक्ति को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं सहित बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं	आपूर्तिकर्ता के अभिलेखानुसार प्रज्ञतकर्ता का पता यदि पता उपलब्ध नहीं है तो सेवा के आपूर्तिकर्ता का स्थान।

कृपया नोट करें कि, आपूर्ति के स्थान के प्रावधान को देखते हुए लॉकर किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा।

9) **आपूर्ति का समय क्या है ?**

i) वस्तुओं हेतु

क) वायदा प्रभार आधार

वस्तुओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों से पहले होगा, अर्थात

क. आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक की तिथि अथवा आपूर्ति के संबंध में बीजक जारी करने हेतु धारा 31(1) के अंतर्गत अपेक्षित अंतिम तिथि।

ख. जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता आपूर्ति के संबंध में भुगतान प्राप्त करता है।

ख) प्रतिगामी प्रभार आधार

वस्तुओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों में सबसे पहले होगा अर्थात

क) वस्तुओं की प्राप्ति की तिथि अथवा
ख) भुगतान की तिथि अथवा
ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि से 30 दिन

ii) सेवाओं हेतु

क) वायदा प्रभार आधार

सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्नानुसार होगा

क) आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि, यदि बीजक धारा 31 की उप धरा (2) के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंतर्गत जारी किया जाता है अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो अथवा
ख) सेवा के प्रावधान की तिथि, यदि यदि बीजक धारा 31 की उप धरा (2) के अंतर्गत निर्धारित अवधि (अर्थात बैंकिंग और बीमा कंपनियों के लिए 45 दिन और अन्य के लिए 30 दिन या परिषद द्वारा यथाअनुमोदित समय अवधि) के अंतर्गत जारी नहीं किया जाता है अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो।

ख) <u>प्रतिगामी प्रभार आधार</u>

सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों से पहले होगा, अर्थात

क) प्राप्तकर्ता (बैंक) के बहीखातों में प्रविष्ट भुगतान की तिथि अथवा भुगतान नामे लिखे जाने की तिथि जो भी पहले हो।
ख) आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तिथि के तत्काल बाद 60 दिन।

यदि उपर्युकत खंडों के अंतर्गत आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव न हो तो आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के बहीखातों में प्रविष्टि की तिथि आपूर्ति का समय होगी।

10) आपूर्ति का मूल्य क्या है ?

ए. वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनो की आपूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित शामिल होगा

- एसजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम और जीएसटी (राजस्व की हानि हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम से इतर किसी अन्य विधान के अंतर्गत उगाहे गए कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार एवं
- कमीशन और पैकिंग जैसे प्रासंगिक प्रभार